208

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

R. 2279/E/16

पुनरीक्षण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

1- देवलाल
2- जगत सिंह
3- रामचरण
पुत्रगण देवीसिंह जाति गौंड
सभी निवासी ग्राम घोड़ाटाकल तह. कुण्डम
जिला जबलपुर ..... आवेदक

विरुद्ध

1- मो0 इमरान पिता श्री मो. सोहराब
निवासी 203 दत्त एण्ड चड्ढा इन्क्लेव, साउथ
सिविल लाईन जबलपुर
2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 122/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2015 के विरुद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदको द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं आवेदक की ग्राम घोड़ाटाकल ब.ब. 47 प.ह.ब. 16/40 रा0नि0अ0 कुण्डम विकास खंड कुण्डम तह. कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 56 रकबा 0.44, खसरा नं. 75 रकबा 0.22, खसरा नं. 78 रकबा 0.47 एवं खसरा नं. 81 रकबा 1.42 हैक्टर कुल रकबा 2.55 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि बहुत ही ककरीली एवं पथरीला जो जो कृषि करने योग्य नहीं है इस कारण तथा अन्य दूसरी जमीनों को उन्नत बनाने आदि के लिए आवेदकों ने उक्त भूमि को विक्रय करना उचित समझा और क्रेता अनावेदक क्रमांक 1 से विक्रय अनुबंध कर बयाना प्राप्त कर लिया है, ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2279–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 122/अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 19–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 19–10–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29–6–15 को पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की जानकारी नहीं दी , जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने जून–16 में कलेक्टर कार्यालय गया तब जानकारी मिलने पर नकल प्राप्त की किंतु अभिभाषक ने सलाह सही नहीं दी, तब सही सलाह मिलने यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अभि. ने यह भी बताया कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है केवल दस्तखत करना जानता है इसलिए विलंब क्षमा किया जाये । प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए विलंब के आधार सद्भाविक बताए जाने से विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदकों द्वारा ग्राम घोड़ाटाकन नं.बं. 47 प.ह.नं. 16/40 रा0नि0मं0 कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 56 रकबा 0.44, खसरा नं0 75 रकबा 0.22, खसरा नं0 78 रकबा 0.47	

R. 2279-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हैक्टर एवं खसरा नंबर 81 रकबा 1.42 हैक्टर कुल रकबा 2.55 हैक्टर को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य मो. इमरान को विकय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदकों द्वारा कय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विकय की अनुमति नहीं दी जा सकती । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की ग्राम घोड़ाटाकन नं.बं. 47 प.ह.नं. 16/40 रा0नि0मं0 कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 56 रकबा 0.44, खसरा नं. 75 रकबा 0.22, खसरा नंबर 78 रकबा 0.47 हैक्टर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2279–एक / 16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नंबर 81 रकबा 1.42 हैक्टर कुल रकबा 2.55 हैक्टर के विकय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	